E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2020; 2(2): 20-23
Received: 18-01-2020
Accepted: 20-02-2020

डॉ0 अशोक कुमार
परीक्षा नियंत्रक, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ झारखंड, भारत।

Corresponding Author:
डॉ0 अशोक कुमार
परीक्षा नियंत्रक, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ झारखंड, भारत।

किशोरावस्था के बालकों में बढते बाल अपराध की समस्याओं का अध्ययन

डॉ0 अशोक कुमार

प्रस्तावना

बाल अपराध एक वैश्विक समस्या है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में सदस्यों की हितों एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम और कानून बनाये जाते हैं जिसका पालन करना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। अन्यथा कानून का उल्लंघन करने वाले कठोर दंड के भागी होते है।

जब हम बाल अपराधी की बात करते हैं तो हम यह पाते है कि अपराधी बालक वह जिसका व्यवहार अपेक्षाकृत एक वैधानिक अपराध होता है, यह व्यवहार उसके विकास हेतु अनुपयुक्त होता हैं और उस संस्कृति के लिए परिचित होता है जिसमें बालक का पालन–पोषण हो रहा है। दूसरे अर्थ में इसे हम यह कह सकते हैं कि जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके इन व्यवहारों को बाल–अपराध तथा उस बालक को अपराधी बालक (क्मसपदुनमदज बैपसक) कहते हैं। इस तरह के बालकों में चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, घर से समय पर स्कूल के लिए निकला, किन्तु स्कूल नहीं जाना, स्कूल में अनुशासन हीनता की समस्या उत्पन्न करना, कक्षा में साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार करना आदि जैसे अपराधिक गुण पाये जाते हैं। हम यह जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का भावी विकास और निर्माण वर्तमान पीढ़ी के मनुष्यों पर उतना अवलम्बित नहीं है, जितना आनेवाले कल की नई पीढ़ी पर। अर्थात् आज का बालक ही कल का सृजनहार बनेगा। बालक का नैतिक रूझान एवं अभिरूचि जैसी होगी निश्चित तौर पर भावी समाज भी वैसे ही बनेगा। ''बाल अपराधी बालक निर्धारित आयु से कम आयु वाला व्यक्ति होता है, जो कि समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और इसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है।'' इस प्रकार के दोष वाले बच्चे को प्रायः किशोरावस्था में देखा जाता है।

किशोरावस्था

किशोरावस्था को एक प्रकार शैशवकाल की ही पुनरावृति माना जा सकता है क्योंकि इस अवस्था में भी शैशवकाल की तरह बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का अत्यधिक गति से वृद्धि और और विकास होता है किशोर भी शिशु की तरह अत्यधिक चंचल, अशांत, उत्तेजित, संवेदनशील और भावुक होता हैं। इस अवस्था में वृद्धि और विकास की सभी दिशाओं में बच्चा तेजी से आगे बढ़ता है जिसके परिणामस्वरूप उसमें कई नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होते है। किशोरावस्था को आंग्ल भाषा में एडोलसेन्स कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिया पद एडोलेसीअर से हुई है, जिसका अर्थ होता है, वृद्धि होना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए *जरशील्ड* ने कहा– *''किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है।''* वास्तव में किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक काल होता है किशोर अपनी वयसंधि के ऐसे चौराहे पर खड़ा होता है जहां उसे बचपन तथा व्यस्क दोनों प्रकार की भूमिकाओं से उत्पन्न विरोधी अपेक्षाओं का शिकार होना पड़ता है।

बाल–अपराध

जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या शैक्षणिक नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके इन व्यवहाारों को बाल–अपराध तथा उस बालक को अपराधी बालक कहा जाता है। चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, घर से समय पर स्कूल के लिए निकलना, किन्तु सचमुच स्कूल नहीं जाना, स्कूल में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न करना, कक्षा में साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार करना आदि बाल–अपराध के कुछ प्रमुख उदाहरण है।

अपराधी बालकों में पाये जाने वाले प्रमुख गुण

1. शारीरिक गुण

अक्सर बालक शरीर से हृष्ट–पुष्ट होते हैं तथा उनके शरीर की मांसपेशियाँ एवं सामान्य उम्र के अन्य बालकों से अधिक विकसित होती है।

2. स्वभावगत गुण

ऐसा बालक स्वभाव से आक्रमक सांवेगिकरूप से अस्थिर बेचैन, आवेगशील तथा विध्वंशक होते हैं।

3. मनोवृति संबंधी गुण

ऐसे बालकों की मनोवृति स्कूल अधिकारियों के प्रति नकारात्मक होती है। वे प्रायः शक्की, पैर की भाख रखने वाला, अवज्ञाकारी मनोवृति के दिखते हैं। इस तरह के बच्चे माता–पिता की बातों का भी अवहेलना करते हैं।

4. सामाजिक सांस्कृतिक गुण

ऐसे बालकों में दूसरों के प्रति कोई स्नेह, प्यार एवं सहानुभूति नहीं होती है। इनका नैतिक स्तर काफी नीचा होता है। जिसके परिणामस्वरूप इन्हें कोई भी समाज विरोधी या प्रतिकूल कार्य करने में ग्लानी नहीं होती है।

5. मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ

ऐसे बालक किसी समस्या के समाधान में मात्र सीधा एवं सुगम रास्ते को अपनाते हैं। इनमें सांकेतिक बौद्धिक अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती है।

अपराधी व्यवहार के प्रकार

1. लोभी प्रवृति

बाल अपराध से संबंधित अधिक व्यवहार इसी श्रेणी के होते हैं। बालकों द्वारा आकर्षक एवं प्रिय वस्तु का चोरी करना इस श्रेणी के अपराध माने गए है। इस ढंग का अपराध बालक पहले अपने घर में प्रारंभ करते हैं और यदि इसे रोकने का सक्रिय प्रयास नहीं किया गया, तो फिर स्कूल आकर बालक अपने साथियों की चीजों पर हाथ फेरना प्रारंभ कर देते हैं।

2. यौन अपराध

इस ढंग का अपराध प्रायः 14 से 18 साल के बालकों या किशोरों द्वारा किया जाता है। इस उम्र के यौन अपराधों में समलिंगता विषमलिंगता, गंदे–गंदे चित्रांकन एवं लेख, वेश्यावृति, बलात्कार, हस्तमैथुन तथा साथियों को लैगिक सुझाव देना तथा लेना आदि मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं।

3. आक्रामक प्रवृति

बाल अपराध का एक मुख्य प्रकार आक्रामक प्रवृति है जो सभी देश के बालकों में पायी जाती है। आक्रामकता दिखाकर बालक अपने–आपकों भीतर से हल्का कर लेते हैं और उनके मन की उत्तेजना शांत हो जाती है। इस प्रवृति में मूल रूप से दूसरे बालक को तंग करना तथा मौका देखकर उसकी धुलाई करना, स्कूल की संपत्ति को नष्ट करना, दूसरों पर मुँह बिचकाना, क्रोध में ऊँचे दीवाल या छत से कूद जाना आदि सम्मिलित होता है।

4. जालसाजी

प्रायः देखा गया है कि 16 से 18 साल के किशोरों या किशोरियों में जालसाजी, जैसे स्कूल के शिक्षक के हस्ताक्षर की नकल कर लेना, माता या पिता के हस्ताक्षर की नकल कर बैंक से रूपया निकाल देना आदि पाये जाते हैं।

5. भाग जाने की प्रवृति

अक्सर बालक जब समस्या की वास्तविकता या सचाई का सामना नहीं कर पाते तो वे स्कूल से या कभी–कभी घर से कुछ दिनों के लिए बिना किसी तरह की सूचना के भाग जाते हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि बाल अपराध के कई प्रकार है, जिनमें लोभी प्रवृति एवं आक्रामक प्रवृति अन्य अपराधों की अपेक्षा अधिक सामान्य है।

बाल अपराध के कारण

बाल अपराध के दो प्रमुख कारण बताये गए हैं– जैविक कारक तथा पर्यावरणी कारक। इन दोनों कारकों का विस्तृत वर्णन निम्नांकित हैं–

अ) जैविक कारकः जैविक कारक में आनेवाले प्रमुख कारक निम्नांकित हैं–

1. आनुवंशिकता

बाल–अपराध का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। जब माता–पिता स्वयं होते हैं, तब उनके बालक भी अपराधी हो जाते हैं। जिनके माता–पिता स्वयं किसी न किसी तरह के अपराध में सम्मिलित थे।बाल अपराध में आनुवंशिकता का काफी प्रभाव पड़ता है।

2. शारीरिक दोष

लोमब्रोसो ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार बाल–अपराध का कारण कुछ आनुवंशिकता दोष होता है।

इस सिद्धांत के अनुसार बाल–अपराधी में कुछ खास–खास शारीरिक विभिन्नताएं जन्म के समय स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जिनके आधार पर उनकी पहचान भी आसानी से कर ली जाती है।। जैसे जन्म के समय ऐसे बालक की मजबूत हड्डी, खड़े–खड़े कान, हथेली में लकीरों की संख्या अत्यधिक कम, चौड़ा मुँह, हाथ और पैर में अधिक गतिशीलता, नेत्रगोलक में तीव्र गति आदि कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण है। परंतु 'लोमब्रोसो' के इस सिद्धांत के चार्ल्स गोरिंग ने गलत साबित कर दिया और कहा कि सामान्य बालक एवं अपराधी बालक में जन्म से ही इस प्रकार की कोई शारीरिक विभिन्नता नहीं पायी जाती।

3. शरीरगठनात्मक सिद्धांत

इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम शेल्डन द्वारा किया गया। शेल्डन ने 200 अपराधी बालकों का अध्ययन कर बताया कि अपराधी व्यवहार एवं मेसोमौर्फिक संरचना में सहसंबंध है। मैसोमौर्फिक संरचनावाले बालक के शरीर की मांसपेशियां गठीली एवं मजबूत होती है। ऐसे शरीर संरचना वाले बालक अपराधी–व्यवहार के शरीर की मांसपेशियाँ गठीली एवं मजबूत होती है। ऐसे शरीर संरचनावाले बालक अपराधी व्यवहार कमजोर एवं मुलायम मांसपेशियों वाले बालक की तुलना में अधिक करते हैं।

4. XYY क्रोमोजोम्स

प्रत्येक मानव कोशिका में सामान्यतः 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें अंतिम जोड़ो अर्थात् 23वाँ जोड़ा क्रोमोजोम्स होते है। 23वाँ जोड़ा क्रोमोजोम्स यौन क्रोमोजोम्स होता है, जो लड़कियों esa XX का होता है तथा लड़कों में XY का होता है। कुछ बालक ऐसे होते है जिनमें एक अतिरिक्त Y होता है अर्थात् उनमें XYY क्रोमोजोम्स होते है। अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे बालकों द्वारा बाल–अपराध अधिक किए जाते है। शा एवं मैकके ने अपने अध्ययन के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की है।

ब) पर्यावरणीय कारक

बाल अपराध के कुछ ऐसे कारण भी है जो जैविक न होकर पर्यावरणीय हैं। ऐसे कारक बालक पर अपना प्रभाव डालते हैं और उन्हें अपराधी बना देते हैं इन कारकों में निम्नांकित अधिक प्रमुख है :–

1. माता–पिता द्वारा तिरस्कार एवं दोषपूर्ण अनुशासन

बैण्डुरा एवं वाल्टर्स के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि जब माता या पिता या दोनों ही द्वारा बालकों को प्रायः तिरस्कार एवं घृणा मिलता है, तो उनमें अपराध करने की प्रवृति तीव्र हो जाती है। ऐसे बालकों में संवेगात्मक आवेगशीलता बढ़ जाती है तथा वे अपराध करने की ओर अग्रसर होने लगते हैं।

2. परिवार के बाहर माता–पिता का सीमित संबंध

परिवार से बाहर माता–पिता के बाहरी संबंधों का भी प्रभाव बालकों के अपराधी व्यवहार पर पड़ता है। बेहतर के अध्ययन के अनुसार परिवार से बाहर माता–पिता का अन्य लोगों के साथ दोस्ताना संबंध जितना ही कम होता है उनके बालकों ने अपराधी कार्य करने की प्रवृति उतनी ही तेज होती है।

3. घरेलू वातावरण

किसी बालक को अपराधी बनने में उसके घरेलू वातावरण का हाथ अधिक होता है। लेफ्कोविज एवं उनके सहयोगियों ने कई अपराधी बालकों के घरेलू वातावरण का अध्ययन किया और बताया कि अधिकतर अपराधी बालक बिखरे हुए से आते है जहां कुछ कारणों, जैसे माता–पिता में अम्बन, अलगाव, संबंध–विच्छेद, मृत्यु एवं कैद आदि के कारण माता या पिता या दोनों ही लम्बे अरसे से घर से अनुपस्थित रहते हैं। उनकी गैरहाजिरी में बालक को अपराधी कार्यों को खुलकर करने का मौका मिलता है और धीरे–धीरे उनमें अपराध करने की बुरी आदत बन जाती है।

4. घरेलू अनुशासन

दोषपूर्ण घरेलू अनुशासन के कारण भी बालक अपराधी बन जाते हैं। जब घरेलू अनुशासन अधिक ढीला होता है, तो इससे भी बालकों में अपराधी कार्य करने कि प्रकृति अधिक बढ़ जाती है।

5. आर्थिक स्थिति

परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी होने से भी बालकों में अपराधी कार्य करने की प्रेरणा उगती है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते है कि गरीबी से तंग आकर अनेक किशोरियाँ और किशारे यौन अपराध जैसे भयानक कदम उठा लेते है। गरीबी के कारण घर में परिवार के सदस्यों में अनबन, तकरार, अनुशासनहीनता आदि की प्रबलता देखी जाती है, जो बालकों को अपराधी बनने में काफी मदद करती है। प्रायः ऐसी घर के बालक प्रारंभ में अपराध करते हैं और बाद में बड़े–बड़े अपराधकरना प्रारंभ कर देते हैं।

6. अवांछित संबंध

कुछ अध्ययनों से यह पता चला है कि जब बालक ऐसे साथी–संगी के साथ संबंध या दोस्ती कर लेते हैं जो अपराधी होते है तो वे स्वयं भी तरह–तरह के अपराध करना सीख लेते हैं वे अपराधी बन जाते हैं।

7. स्कूल

बाल–अपराध का कारण स्कूल का दोषपूर्ण वातावरण, शिक्षकों का अनुचित व्यवहार एवं अनुशासन की कमी आदि भी बताया गया है। स्कूल का वातावरण यदि ऐसा होता है जहां छात्रों को अवकाश की अवधि में खेलने या मनोरंजन के पर्याप्त साधन नहीं रहते हैं, तो उस अवकाश की अवधि में छात्र असामाजिक कार्य करने की योजना बनाते है और अपराध करने की और उनकी प्रवृति तेजी से बढ़ती है।

बाल–अपराध का निवारण (Prevention of Delinquency)

बाल–अपराध के निवारण, निरोध या रोकने के लिए परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, यथा–

1. **उत्तम वातावरण** (Good Environment) – परिवार का वातावरण उसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग, समायोजन और सहानुभूति का आदर्श प्रतीक होना चाहिए। ऐसा वातावरण बाल–अपराध का घोर शत्रु होता है।
2. **बुद्धि पर नियंत्रण** (Control over Increase) – छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, क्योंकि ऐसे परिवार के सदस्यों में एक–दुसरे के प्रति आत्मीयता और निकटता की भावना होती है। अतः इसमें बाल–अपराध का जन्म होना कठिन है।
3. **बालकों का निर्देशन** (Guidance) – बालक, ज्ञान और समझदारी की कमी के कारण बाल–अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। अतः उनके माता–पिता को शिक्षा, चित्रों, मनोरंजन आदि के सम्बन्ध में उनका पग–पग पर निर्देशन करना चाहिए। इस प्रकार निर्देशन प्राप्त करने वाले बालकों से बाल–अपराध की आशा नहीं की जाती है।
4. **बालकों का निरीक्षण** (Supervision) – माता–पिता को अपने बालकों के मध्य प्रतिदिन कुछ समय व्यतीत करके उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनको परामर्श भी देना चाहिए। ऐसे माता–पिता की सन्तान कुमार्ग पर नहीं चलती है।
5. **बालकों के प्रति उचित व्यवहार** (Proper Behaviour) – माता–पिता को बालकों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए। उन्हें न तो अधिक लाड़–प्यार करके बालकों को बिगाड़ना चाहिए और न अधिक कठोर अनुशासन में रखकर उनकी इच्छाओं का दमन करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार पाने वाले बालकों में अपराध–प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है।
6. **बालकों के अध्ययन की व्यवस्था** (Study Arrangement for Children) – परिवार में बालकों के अध्ययन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस उद्देश्य से उनके लिए शान्त और एकान्त स्थान सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे स्थान में शिक्षा–मनोविज्ञान, निर्देशन, शैक्षिक मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी अध्ययन करके उनके मस्तिष्क का क्रमिक विकास होता चला जाएगा, जो उनको बाल–अपराध की हानियों से अवगत करायेगा।
7. **बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति** (Satisfaction of Child Needs) – माता–पिता को बालकों की सभी उचित आवश्यताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा न करने से बालक उनकी पूर्ति के लिए अनुचित उपयों का प्रयोग करके बाल–अपराध के दोषी बन जाते हैं।
8. **बालकों के दैनिक व्यय की पूर्ति** (Satisfaction of Daily Expenses) – बालकों को अपने दैनिक व्यय के लिए कुछ धन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। माता–पिता को अपनी आय को ध्यान में रखकर उनको दैनिक व्यय के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। ऐसा न करके वे स्वयं बालकों को धन की चोरी करने की शिक्षा देते है।
9. **बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण** (Good Habits) – माता–पिता को बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। ऐसी आदतों बाले बालक अनुचित कार्य करके अपराधी कहे जाने से घृणा करते हैं।

10. **बालकों में आत्म–निर्भरता का विकास** (Self Dependence) – माता–पिता को बालकों में आत्म–निर्भरता के गुण का अधिक–से–अधिक विकास करना चाहिए। इस गुण वाले बालक अपनी आवश्यकताओं को स्वयं कार्य करके पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और अनुचित उपायों को नहीं अपनाते हैं।
11. **स्कूल का उचित वातावरण एवं अनुशासन** – स्कूल के उचित वातावरण एवं अनुशासन से भी बालकों को अपराधी बनने से रोका जा सकता है। स्कूल का वातावरण स्नेहपूर्ण, शिक्षकों का सौहार्दपूर्ण व्यवहार एवं स्कूल से मनोरंजन के पर्याप्त साधन होने से बालकों में शैक्षिक अभिरूचि सजग हो जाती है और अपने शैक्षिक कार्यों में वे लीन हो जाते हैं।
12. **सरकारी सहायता** – बाल–अपराध से रोकने के लिए सरकार एवं सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा। इन साधनों द्वारा निम्नलिखित कदम से बालकों में अपराधीकरण को घटाया जा सकता है–

- आदर्श राजकीय स्कूल की व्यवस्था।
- गरीब एवं मेघावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
- लावारिश एवं अवैध बालकों की शिक्षा–दीक्षा का प्रबंध।
- परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान

उपर्युक्त कदमों को अपनाकर सरकार एवं सामाजिक संगठन बहुत हद तक बालकों के अपराध को रोकने में सक्षम हो सकते हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में 'बाल अपराध' बहुत ही गंभीर समस्या है। किसी भी बालकों को अपराधी बनाने में माता–पिता की अहम् भूमिका होती है। अपराधिक प्रवृति के बालक सर्वप्रथम अपने घर से ही अपराध प्रारंभ करते पुनः परिवेश और स्कूल में अपनी दमित भावनाओं का उजागर तीव्र गति से अनुशासन हीनता चोरी, हिंसा, बलात्कार जैसे अनेकों कुकृत्यों को अपनाकर अपना आक्रोश दिखाता है, जिसके लिए सर्वप्रथम माता–पिता जिम्मेदार है साथ ही साथ शिक्षकों की भूमिका भी अहम् है। भारतीय समाज में बाल अपराध क दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औधोगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं, इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधो में लिप्त हो रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली, 2006
2. गुप्ता, एस.पी. व बाजपेई पी.के. शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, मार्डन पब्लिकेशन, जालंधर, 2008
3. पाठक, पी0डी0 शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2012
4. बार–ऑन, आर0 इमोशनल ऐण्ड सोशल इंटेलिजेन्स : इनसाइट्स फ्राम द इमोशनल क्योशेन्ट इन्वेन्ट्री। आर0 बार–ऑन एवं जे0डी0ए0 पार्कर (सम्पा0). *हैण्डबुक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस* / सेनफ्रांसिस्को : जेसी ब्रास 2000
5. भटनागर, सुरेश शिक्षा मनोविज्ञान, ईगल बुक्स इंटरनेशनल, मेरठ, 1996
6. भार्गव, महेश विशिष्ट बालक, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा–14, 2007
7. मन शैक्षिक अधिगम के मनोसामाजिक आधार, श्रीमती मंजू मिश्रा, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, 2007 पृ0 161
8. मंगल, डा0 एस0के0 शिक्षा मनोविज्ञान, प्रेन्टिस हाल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली 2012,